[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

संख्या 17/2025-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 18,अक्टूबर, 2025

सा.का.नि.....(अ).-केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटीआर -3-ख में रिटर्न प्रस्तुत करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है-

(i) धारा 39 की उपधारा (1), सितंबर, 2025 माह के लिए, अक्टूबर 2025 के पच्चीसवें दिन तक।

(ii) धारा 39 की उपधारा (1) का परन्तुक, जुलाई, 2025 से सितंबर, 2025 की तिमाही के लिए, अक्टूबर 2025 के पच्चीसवें दिन तक।

[फा.स.सीबीआईसी-20006/45/2025-जीएसटी]

(रौशन कुमार)
अवर सचिव